

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम,

मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्र. प्रशा./गो.क./समिति/का.आ.-57

दिनांक: 02.09.2024


:: कार्यालय आदेश ::

**विषय:** केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 (C) में उल्लिखित कदाचार के संबंध में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु समिति का गठन।

मुख्यालय के परिपत्र No. NGE 12/2000 No. 15-NGE-Disc./34-99 dated 24.01.2000 एवं No. 5/NGE/2006 No. 86-NGE (Disc.-I)/10-2005/KW dated 08.02.2006 में दिये गए दिशानिर्देशानुसार इस कार्यालय एवं भोपाल शाखा की कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु पूर्व में कार्यालय आदेश क्र. प्रशा./गो.क./समिति/का.आ.-27, दिनांक 22.09.2022 द्वारा गठित समिति का तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन किया जाता है, जोकि निम्नानुसार होगी :-

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1. सुश्री मीना बिष्ट, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)<br>कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),<br>राजस्थान, जयपुर      | - | अध्यक्षा |
| 2. श्री एच.एस. परस्ते, वरिष्ठ लेखा अधिकारी  | - | सदस्य    |
| 3. श्री प्रशांत ढबले, वरिष्ठ लेखा अधिकारी   | - | सदस्य    |
| 4. सुश्री नसरीन हनफी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी   | - | सदस्य    |
| 5. सुश्री सौम्या शर्मा, लेखापाल   | - | सदस्य    |
| 6. सुश्री प्रियंका सिंह, Head Of Operations,<br>संभव समाज सेवा संगठन, गार्गी हाउस, बलवंत नगर,<br>गाँधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) | - | सदस्य    |

(प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक 20.08.2024)

  
उप महालेखाकार (प्रशासन)